

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5570 / चार-12-14 / 10

जबलपुर, दिनांक 05 / 08 / 202

माननीय फुलकोर्ट मीटिंग के मिनटस दिनांक 13.11.2021 व दिनांक 20.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित तत्कालीन उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का वेतन निर्धारण निम्न तालिका अनुसार पुनरीक्षित किया जाता है:-

अधिकारी का नाम	फास्ट ट्रेक कोर्ट में नियुक्ति का दि. व वे0मान.16750-400 - 19150-450-20500 /-	नियमित कोर्ट में नियुक्त का दि0 व वे0मा0. 51550- 1230 -58930-1380-63070 /-	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5	6
1 स्व0श्रीमती उषा श्रोत्रिय, तत्कालीन जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश।	20.10.04		-	16750/-	20.10.04
			20.10.05	17150/-	01.10.05
पुनरीक्षित वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 /- स्वीकृत।			01.01.06	52780/-	01.01.06
			20.10.06	54010/-	01.10.06
		18.06.07	-	54010/-	18.06.07
			20.10.07	55240/-	01.10.07
			20.10.08	56470/-	01.10.08
			20.10.09	57700/-	01.10.09
			20.10.10	58930/-	01.10.10
			20.10.11	60310/-	01.10.11
Expired on 18-05-2012					

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

4.8.23

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)


पृ0क्र0 B/5571/चार-12-5/23  
प्रतिलिपि:-

जबलपुर दिनांक 05/08/2023

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना/मुरैना/मण्डलेश्वर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री अथर्व श्रोत्रिय पिता स्व0 श्री राकेश श्रोत्रिय, पता-71, पैलेस रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।

**की ओर सूचनार्थ प्रेषित।**

**नोट:-**रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

  
4.8.23  
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन